भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-201
सोमवार, 04 फरवरी, 2019/15 माघ, 1940 (शक)

रोजगार बढ़ाने के लिए कदम

201. श्री राजेशभाई चुड़ासमाः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत चार वर्षों और चालू वर्ष के दौरान रोजगार बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान सृजित नौकरियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) एवं (ख): नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने, देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीए) तथा पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) एवं आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं। इन योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से सृजित रोजगार का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत लघु/सूक्ष्म व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है। योजना के अंतर्गत 25 जनवरी, 2019 तक कुल 15.59 करोड़ ऋण संस्वीकृत किए गए हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016-17 में नियोक्ताओं को रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना आरंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत, सरकार, सभी क्षेत्रों के समस्त पात्र नए कर्मचारियों हेतु उनके पंजीकरण की तारीख से ईपीएस एवं ईपीएफ के नियोक्ताओं के संपूर्ण अंशदान (12% अथवा यथा-स्वीकार्य) का भुगतान 01.04.2018 से अगले 3 वर्षों के लिए कर रही है। 28 जनवरी, 2019 तक 1.05 करोड़ लाभार्थियों को कवर करने वाले 1.29 लाख प्रतिष्ठानों को लाभांवित किया गया है।

अनुबंध

रोजगार बढ़ाने के लिए कदम के बारे में पूछे गए लोक सभा के दिनांक 04.02.2019 के अतारांकित प्रश्न संख्या 201 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

(क) प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत वर्ष-वार/राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (30.11.2018 तक)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	293	1398	1744	1064
2	आंध्र प्रदेश	7740	14148	12216	9008
3	अरुणाचल प्रदेश	104	1984	1672	1496
4	असम	9026	31498	18256	16424
5	बिहार	19624	25872	18456	10776
6	चंडीगढ़	323	376	360	128
7	छत्तीसगढ़	9496	12856	11704	11792
8	दिल्ली	2048	952	920	384
9	गोवा	500	660	400	232
10	गुजरात*	14960	11629	15008	14488
11	हरियाणा	7232	11016	13744	8024
12	हिमाचल प्रदेश	5134	6916	7088	5528
13	जम्मू और कश्मीर	12115	11691	30024	27752
14	झारखंड	12873	10400	8888	4472
15	कर्नाटक	17284	30286	16920	15360
16	केरल	9653	13068	10776	9520
17	लक्षद्वीप	-	-	-	-
18	मध्य प्रदेश	16497	15520	14432	8040
19	महाराष्ट्र**	20161	17799	26632	21960
20	मणिपुर	2715	8419	4800	4680
21	मेघालय	4824	2632	600	1472
22	मिजोरम	9072	3400	1992	3336
23	नागालैंड	4998	7783	7440	3296
24	ओडिशा	17629	20392	19192	11808
25	पुडुचेरी	447	699	352	368
26	पंजाब	7762	9858	12160	7288
27	राजस्थान	14537	13408	12614	9616
28	सिक्किम	397	201	296	200
29	तमिलनाडु	20836	25764	32760	20344
30	तेलंगाना	7761	6445	9520	7440
31	त्रिपुरा	5355	17961	8928	2904
32	उत्तर प्रदेश	43059	36315	43456	25888
33	उत्तराखंड	6161	9890	12904	9240
34	पश्चिम बंगाल	12746	26604	10928	10528
	कुल	323362	407840	387184	284856

*दमन व दीव सहित

** दादरा व नागर हवेली सहित

स्रोत: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय

(ख) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीए) के अंतर्गत राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार रोजगार प्रदत्त परिवार और सृजित मानव-दिवस

(आंकड़े लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	रोजगार प्रदत्त परिवार				सृजित मानव-दिवस			
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19*	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19*
1	आंध्र प्रदेश	36.07	39.84	39.92	39.81	1992.10	2060.90	2120.10	1857.71
2	अरुणाचल प्रदेश	1.81	2.03	1.42	0.97	50.45	85.35	42.80	27.03
3	असम	15.02	15.71	16.85	10.63	486.33	466.09	481.15	258.60
4	बिहार	14.87	22.95	22.49	21.59	670.92	858.36	817.67	728.48
5	छत्तीसगढ	21.74	21.32	23.26	19.92	1013.96	885.94	1199.29	809.43
6	गोवा	0.06	0.07	0.07	0.01	1.07	1.26	0.99	0.08
7	गुजरात	5.57	7.16	8.61	6.73	225.41	271.06	353.09	250.22
8	हरियाणा	1.69	2.81	2.73	1.51	48.48	84.91	90.34	41.31
9	हिमाचल प्रदेश	4.24	5.29	5.11	4.46	177.71	236.61	220.06	172.92
10	जम्मू और कश्मीर	6.53	6.21	6.94	4.08	316.32	315.59	378.30	181.47
11	झारखंड	11.26	17.43	14.45	10.47	585.61	707.44	592.75	396.65
12	कर्नाटक	12.36	18.18	19.04	14.59	598.38	914.06	858.13	538.75
13	केरल	15.06	14.57	13.12	12.94	741.60	684.48	619.50	493.99
14	मध्य प्रदेश	27.02	28.02	34.81	30.55	1237.42	1130.39	1622.68	1274.29
15	महाराष्ट्र	12.75	14.33	16.98	14.11	763.37	708.99	825.32	532.26
16	मणिपुर	4.74	5.16	4.91	4.33	75.33	119.03	61.25	44.03
17	मेघालय	3.68	4.15	4.27	3.43	199.71	282.54	291.88	153.61
18	मिजोरम	1.90	1.89	1.91	1.94	131.26	168.23	144.38	111.22
19	नागालैंड	4.17	4.18	4.10	3.10	212.07	290.71	237.01	53.13
20	ओडिशा	19.98	20.33	23.07	18.57	894.46	774.48	922.17	618.49
21	पंजाब	4.74	5.36	6.64	4.79	144.34	157.73	223.14	111.68
22	राजस्थान	42.21	46.35	45.14	36.41	2340.48	2595.93	2397.05	1469.43
23	सिक्किम	0.66	0.68	0.64	0.54	43.84	46.12	34.61	20.09
24	तमिलनाडु	60.53	62.62	58.15	47.26	3686.75	3999.42	2388.81	1303.66
25	तेलंगाना	25.65	25.60	25.32	24.11	1417.76	1082.19	1147.44	1045.51
26	त्रिपुरा	5.70	5.77	5.23	5.16	538.60	460.52	175.97	145.54
27	उत्तर प्रदेश	54.35	50.09	48.65	39.96	1822.22	1575.01	1816.80	1322.33
28	उत्तराखंड	5.44	5.44	5.10	3.78	223.87	236.71	223.04	127.94
29	पश्चिम बंगाल	61.11	58.25	52.41	38.82	2864.97	2355.46	3125.57	2226.33
30	अण्डमान और निकोबार	0.10	0.12	0.07	0.04	2.68	4.12	1.90	0.94
31	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.06	0.06
32	पुडुचेरी	0.33	0.31	0.38	0.29	5.62	5.37	7.26	5.33
	कुल	481.32	512.22	511.77	424.86	23513.13	23565.01	23420.50	16322.49

* 30.11.2018 तक
टिप्पणी: एमआईएस के
अनुसार सभी आंकड़े
(www.nrega.nic.in)

(ग) पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के अंतर्गत वर्ष-वार और राज्य-वार वास्तविक उपलब्धि

डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत वर्ष-वार और राज्य-वार वास्तविक उपलब्धि									
क्र.सं.	राज्य	वित वर्ष 15-16		वित वर्ष 16-17		वित वर्ष 17-18		वित्त वर्ष 18-19 नवम्बर,18 तक 03.12.18 को (एमपीआर के अनुसार)	
		प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित
1	आंध्र प्रदेश	4013	1989	12787	18966	17341	10954	18182	20134
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-
3	असम	4258	3022	8202	1479	9936	3464	9320	4487
4	बिहार	7722	3685	8608	4216	6972	4859	5799	4267
5	छत्तीसगढ़	8434	4463	7355	1987	3111	539	3142	2000
6	गुजरात	7892	5083	2254	2075	528	160	2515	780
7	हरियाणा	13409	8807	10512	586	2281	5832	551	3950
8	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	350	-	1748	149
9	जम्मू और कश्मीर	18609	16524	7300	6453	1137	1424	1653	152
10	झारखंड	6939	1314	8360	2355	5526	2375	2941	1494
11	कर्नाटक	10926	5443	10909	4432	8871	4752	3261	3099
12	केरल	4738	2446	11246	5598	10587	4175	7929	6994
13	मध्य प्रदेश	13089	3954	10974	3546	5353	1823	4679	1504
14	महाराष्ट्र	-	-	4140	3694	7082	7390	5255	2235
15	मणिपुर	-	-	-	-	-	-	-	-
16	मेघालय	-	-	-	-	-	-	440	202
17	मिजोरम	-	-	-	-	-	-	72	-
18	नागालैंड	-	-	-	-	-	-	-	-
19	ओडिशा	23070	18001	32108	45726	23520	14035	22916	21562
20	पंजाब	-	-	-	-	4987	563	1499	1273
21	राजस्थान	23143	12844	3837	3397	2599	693	4423	2744
22	सिक्किम	304	205	-	70	-	-	-	-
23	तमिलनाडु	20449	9375	113	30780	519	765	837	121
24	तेलंगाना	3554	1830	8969	9150	12470	9048	9527	12541
25	त्रिपुरा	305	75	1197	342	1530	526	723	875
26	उत्तर प्रदेश	63209	8552	11203	2052	4795	892	8155	2710
27	उत्तराखंड	-	-	-	-	-	-	369	155
28	पश्चिम बंगाल	2408	1900	2512	979	2032	1518	2854	2212
	कुल	236471	109512	162586	147883	131527	75787	118790	95640

स्रोतः ग्रामीण विकास मंत्रालय

(घ) 2014-15 से आज की तारीख (05.12.2018 को) तक डीएवाई-एनयूएलएम के तहत वर्ष-वार एवं राज्य-वार प्रगति, (ईएसटी एण्ड पी) के तहत कौशल प्रशिक्षित नियोजित अभ्यर्थियों की संख्या का विवरण।

कौशल प्रशिक्षित नियोजित अभ्यर्थियों की संख्या							
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	वित वर्ष 2014-15	वित वर्ष 2015-16	वित वर्ष 2016-17	वित वर्ष 2017-18	वित वर्ष 2018-19	संचयी
1	आंध्र प्रदेश	182	3116	35882	12010	38100	89290
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	113	297	410
3	असम	-	-	293	1284	258	1835
4	बिहार	-	90	176	1546	108	1920
5	छत्तीसगढ़	655	3513	5858	6476	2800	19302
6	गोवा	-	-	66	639	833	1538
7	गुजरात	-	226	3920	6388	6741	17275
8	हरियाणा	282	-	-	685	494	1461
9	हिमाचल प्रदेश	-	196	86	100	116	498
10	जम्मू और कश्मीर	-	254	-	25	60	339
11	झारखंड	-	-	2700	20795	2093	25588
12	कर्नाटक	-	3527	637	898	-	5062
13	केरल	-	-	443	2413	1570	4426
14	मध्य प्रदेश	2337	4307	38060	3039	19936	67679
15	महाराष्ट्र	-	-	11768	6083	10656	28507
16	मणिपुर	-	6	-	-	41	47
17	मेघालय	-	-	317	111	7	435
18	मिजोरम	-	-	147	91	684	922
19	नगालैंड	1866	691	341	1749	-	4647
20	ओडिशा	-	-	2467	776	-	3243
21	पंजाब	-	-	-	1139	893	2032
22	राजस्थान	-	-	-	33	1345	1378
23	सिक्किम	-	-	-	-	187	187
24	तमिलनाडु	52988	6262	-	1156	1849	62255
25	तेलंगाना	2628	3718	1861	10013	4078	22298
26	त्रिपुरा	-	-	-	2	101	103
27	उत्तर प्रदेश	-	-	42174	30058	11	72243
28	उत्तराखंड	-	-	1731	-	663	2394
29	पश्चिम बंगाल	2083	6322	2691	6919	832	18847
30	अंडमान एवं द्वीप समूह	-	-	-	-	-	-
31	चंडीगढ़	94	1436	283	875	-	2688
32	दादरा एवं नागर हवेली	-	-	-	-	-	-
33	दमन और दीव	-	-	-	-	-	-
34	दिल्ली	-	-	-	-	-	-
35	पुडुचेरी	-	-	-	-	-	-
	कुल	63115	33664	151901	115416	94753	458849

स्रोत: आवास और शहरी कार्य मंत्रालय